प्रार्थीगण द्वारा खरीदी गई भूमि वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 689 में आने जाने के रास्ते के रूप उपयोग होना स्पष्ट है। अतः वादग्रस्त आराजी के मौके पर उभयपक्ष अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होना एवं आवागमन हेतु रास्ता होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के हक में सिद्ध होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलनः</u>– आराजी मुतनाजा के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षों के हक में प्रमाणित है।

3. <u>अपूर्णनीय क्षतिः</u>– चूंकि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण की काबिज काश्त एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की भूमि दर्ज रिकॉर्डेड होकर चालू रास्ता है। यदि प्रार्थीगण के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अपने हक हकूकों से वंचित होना नहीं पड़ेगा तथा अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

उपरोक्त विवेचनानुसार के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया जाकर वाके ग्राम हिंगोनिया के आराजी खसरा नम्बर 686 रकबा 0.7800 हैक्टेयर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर काबिज काश्त है, जिससे प्रार्थीगण के हक हकूक प्रभवित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर ग्रामीण (राज.)
सत्यमेव जयते